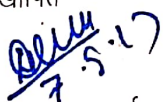
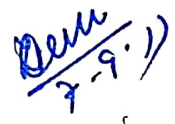


भूमि सुधार उप समाहर्ता का न्यायालय पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।

टी०ए० मिस केस सं०-70/2017-18

आदेश की तिथि	आदेश	आदेश पर की गई कार्रवाई के बाद टिप्पणी तारीख साथ
7.9.17	आवेदक श्री/श्रीमती महेन्द्र गागराई, पिता/पति स्व० मोटाय गागराई, ग्राम - जंतालवेड़ा, पोस्ट - चक्रधरपुर, थाना - चक्रधरपुर, जिला प० सिंहभूम ने छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(प)प्रोभिजो "ए"/"बी" के अन्तर्गत भूमि हस्तांतरण हेतु आवेदन पत्र दिया है। खतियानी जमीन मौजा - नगरपालिका चक्रधरपुर, वार्ड संख्या- 15, थाना नं० - 68, खाता नं०- 213, प्लॉट नं०- 328, रकबा- 9.645 ए०, क्रेता श्री/श्रीमती - सुची सुनिता खेस, पिता/पति- कामिल खेस, ग्राम - टोंकाटोली, पंप रोड, पोस्ट- चक्रधरपुर, थाना- चक्रधरपुर, जिला प० सिंहभूम के पास बिक्री करना चाहते हैं। दोनों पक्षों को सूचना निर्गत किया गया एवं आम इश्तेहार किया गया। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से पता चलता है कि बिक्री की जानेवाली जमीन आवेदक/आवेदिका - महेन्द्र गागराई, पिता- स्व० मोती गागराई के दखल कब्जे में है तथा अपने हक के ही जमीन को क्रेता के पास 3,00,000/- (तीन लाख) रुपये में बेचना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि हाल सर्वे खतियान में हिरा कुई, काली कुई, पिता- मछुवा हो, बासु हो तथा कान्डे हो उर्फ उदय हो, पिता- कारीन हो, चुनु हो तथा घसिया हो, पिता- डबरो हो, प्रधान हो, पिता- जुरिया हो, कान्डे हो, विशु हो, लादु हो, जालिया हो, जोतो हो, पिता- सिरका हो के नाम से दर्ज है। विक्रेता से उनका संबंध - पिता-पुत्र का है। जमाबन्दी पंजी 11 में खतियानी रैयत हीरा कुई इत्यादि, पिता- मछुवा हो के नाम लगान कायम है। आम इश्तेहार एवं नोटिस तामिला प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित जमीन को बेचे जाने पर किसी भी व्यक्ति के द्वारा आज तक किसी भी प्रकार की आपत्ति इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है। तामिला प्रतिवेदन अभिलेख के साथ संलग्न है। विक्रेता एवं क्रेता अंचल एवं थाना- चक्रधरपुर के निवासी हैं तथा "हो" (अनु०ज०जाति०) समुदाय के सदस्य हैं। विक्रेता उक्त वर्णित भूमि निजी कार्य हेतु बेचना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि को बिक्री के बाद जीविकोपार्जन हेतु ग्राम - टोंकाटोली, पंप रोड, खाता/अन्य खाता संख्या -213, प्लॉट संख्या - 328, में रकबा - 2.84 एकड़, अवशेष के रूप में बचती है। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर के पत्रांक 750, दिनांक 05.09.2017 द्वारा उक्त भूमि का बिक्री हेतु अनुशंसा किया गया है। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन तथा आम इश्तेहार पर आपत्ति प्राप्त नहीं होने के फलस्वरूप आवेदक/आवेदिका को अपने हक एवं दखल की उपरोक्त जमीन क्रेता श्री/श्रीमती - सुची सुनिता खेस, पिता/पति- कामिल खेस, ग्राम - टोंकाटोली, पंप रोड, चक्रधरपुर, पोस्ट-चक्रधरपुर, थाना-चक्रधरपुर, जिला प० सिंहभूम के पक्ष में छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 46(i)प्रोभिजो "ए"/"बी" के अन्तर्गत उक्त भूमि हस्तांतरण करने की - स्वीकृति दी जाती है। लेखापित  भूमि सुधार उपसमाहर्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर  भूमि सुधार उपसमाहर्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर	